उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19सी विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0,लखनऊ - 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2236172 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

संख्याः पीआरपीबी–पी–264/2021

दिनांकः अगस्त 25 ,2021

आदेश

याची/जितेन्द्र सिंह यादव, पीएनओ–970020480, पुत्र स्व0 तारा सिंह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) नियुक्ति स्थान जोनल कार्यालय कानपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्याः 1160/2021 जितेन्द्र सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में **मुहरबन्द लिफाफे को खुलवाने तथा शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997, दिनांकित 28–05–1997 के खण्ड–10 में दिये गये प्रावधानानुसार तदर्थ आधार पर पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में योजित की गयी है।** प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांकित 23–02–2021 को आदेश पारित करते हुए रिट याचिका के एनेक्जर–5 के रूप में संलग्न प्रत्यावेदन दिनांकित 24–07–2020 को नियमानुसार निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। रिट याचिका में पाारित निर्णय के कार्यात्मक अंश निम्नवत हैः–

".....In view of above, without expressing any opinion on the merits of the issue and considering the facts and circumstances of the case, this writ petition is disposed of finally with a direction to the respondent no. 3 to decide the petitioner's representation in accordance with law within a period of two months from the date of production of a copy of this order before him.

The party shall file computer generated copy of such order downloaded from the official website of High Court Allahabad, self attested by the petitioner alongwith a self attested identity proof of the said person (preferably Aadhar Card) mentioning the mobile number to which the said Aadhar Card is linked.

The concerned Authority/Official shall verify the authenticity of such computerized copy of the order from the official website of High Court Allahabad and shall make a declaration of such verification in writing."

2– यह सुसंगत है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त निर्णय दिनांकित 23–02–2021 के अनुपालन में याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट से उक्त निर्णय की डाउनलोड स्वप्रमाणित प्रति मय पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की प्रति आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर के साथ बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3– याची द्वारा यद्यपि स्वयं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त निर्णय दिनांकित 23–02–2021 का अनुपालन नहीं किया गया है परन्तु उसके द्वारा उक्त निर्णय का अनुपालन न किये जाने का आधार बनाते हुए अवमानना याचिका संख्याः 2080/2021 जितेन्द्र सिह यादव बनाम श्री राजकुमार विश्वकर्मा, अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। प्रश्नगत अवमानना याचिका में **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पारित निर्णय दिनांकित 05.07.2021** के कार्यात्मक अंश निम्नवत हैः–

" Prima facie, a case has been made out for punishing the opposite party for willful disobedience of the judgment and order dated 23.02.2021 passed in the aforesaid writ petition.

However, no notice is issued to the opposite party at this stage. The opposite party is granted three months further time to comply with the order dated 23.02.2021 passed by this Court in Writ-A No. 1160 of 2021 from the date of production of a self verified copy of this order.

The applicant shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite parties and another self-addressed envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite parties within one week thereafter and keep a record thereof.

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate the applicant the order through the self-addressed envelop within a week thereafter.

In case, the opposite party does not comply with the order, it would be open to the applicants to approach this court again.

With the aforesaid observations, this application is finally disposed of at this stage.

4– अवमानना याचिका में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 05–07–2021 के अनुपालन में याची का अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सम्बोधित डुअली स्टाम्पड रजिस्टर्ड लिफाफा अभी तक बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि उक्त लिफाफा मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 05–07–2021 से 01 सप्ताह के अन्दर याची द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

5– यद्यपि याची द्वारा अभी तक न ही रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 23–02–2021 का अनुपालन किया गया है और न ही अवमानना याचिका मे पारित निर्णय दिनांकित 05–07–2021 का अनुपालन किया गया है, **फिर भी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका एवं अवमानना याचिका में पारित निर्णयों के समादर में रिट याचिका के संलग्नक–5 के रूप में संलग्न याची का प्रत्यावेदन दिनांकित 24–07–2020** पर गहनतापूर्वक निम्नानुसार विचार किया गया:–

(i) याची/जितेन्द्र सिंह यादव, पीएनओ–970020480, पुत्र स्व0 तारा सिंह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) नियुक्ति स्थान जोनल कार्यालय कानपुर द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांकित 24–07–2020, जो सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को सम्बोधित है, में याची द्वारा मुख्यरूप से **शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–10 के आलोक** में उसे तदर्थ आधार पर उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(ii) प्रोन्नति प्रकियाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं, संगत शासनादेशों तथा पुलिस विभाग के विभागीय आदेशों के दृष्टिगत **पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सेवाभिलेखों में याची/जितेन्द्र सिंह यादव, पीएनओ–970020480, पुत्र स्व0 तारा सिंह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) नियुक्ति स्थान जोनल कार्यालय कानपुर के विरूद्ध मु0अ0सं0–508/2017, धारा 336, 504, 506 भा0दं0वि0 थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में आरोप पत्र दिनांक 09–08–2017 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया है, जो विचाराधीन न्यायालय होने के कारण पूर्व चयन वर्ष–2016 की सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी, जो नियमानुसार एवं विधिसम्मत है।**

(iii) "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) मे निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन वर्ष 2020 की कुल 201 रिक्तियों के सापेक्ष अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन हेतु प्राप्त अधियाचन एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्विवाद ज्येष्ठता/पात्रता सूची के अनुसार सहायक पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक **09–02–2021 से 18–02–2021** तक सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में उक्त निर्धारित मानको के आलोक में **याची** के प्रकरण में विचार किया गया था।

(iv) शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–10 में यह प्रावधानित है कि *"चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहरबन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे कार्मिकों के विषय में, जो निलम्बित नहीं है, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा"*:–

(क) आरोपित कार्मिक के विरूद्ध लगाये गये आरोप क्या इतने गम्भीर हैं कि उनके आधार पर उसे भविष्य में भी प्रोन्नति से वंचित रखा जाना उपयुक्त/जनहित में होगा,

(ख) क्या प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने में काफी समय लगेगा,

(ग) प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन में हो रहे विलम्ब के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपित कार्मिक तो दोषी नहीं है,

(घ) आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने पर वह अपने पद का दुरूपयोग अथवा जांच को कुप्रभावित तो नहीं करेगा,

(ड.) **यदि सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिकों को तदर्थ आधार पर प्रोन्नति करना उपयुक्त समझते है तो उस दशा में विभागीय चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा तो आरोपित कार्मिक के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा तदर्थ रूप से प्रोन्नति देने अथवा न देने के विषय में अपनी संस्तुति देगी।**

(v) उपर्युक्त शासनादेश दिनांकित 28–05–1997 के प्रस्तर–1(10) के खण्ड–(क) से (ड़) पर उल्लिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि किसी कार्मिक की तदर्थ प्रोन्नति का प्रस्ताव भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रेषित किये जाने का औचित्य तभी स्थापित होगा जबकि प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर–1(10) के खण्ड–(क) से (घ) तक की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यकरूप से विचार कर लिया गया हो तथा सक्षम प्राधिकारी यदि खण्ड (क)(ख)(ग) और (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिक को तदर्थ आधार पर प्रोन्नत करना उपयुक्त समझते हैं तो केवल और केवल उसी दशा में चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा।

(vi) उपर्युक्त शासनादेश दिनांकित 28–05–1997 के खण्ड–10 के आलोक में याची के प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु बोर्ड के पत्र संख्याः पीआरपीबी–पी–11/2020, दिनांक 22–03–2021 एवं 18–08–2021 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए याची के प्रकरण का सक्षम अधिकारी स्तर पर परीक्षण कराये जाने तथा परीक्षणोंपरान्त सक्षम अधिकारी यदि याची की तदर्थ प्रोन्नति पर विचार किये जाने की आवश्यकता समझते है, तो उस दशा में सुविचारित प्रस्ताव व अद्यावधिक सेवाभिलेख अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित तत्काल बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

6– उक्त पत्र के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी (पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या–18–305–2020 दिनांकित 29.07.2021 द्वारा शासनादेश दिनांकित 28.05.1997 के खण्ड–10 में निहित व्यवस्था के अनुसार याची को तदर्थ आधार पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति किया जाना नियमानुकूल न पाते हुए बोर्ड को अवगत कराया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा याची को तदर्थ प्रोन्नति हेतु नियमानूकूल न पाये जाने के दृष्टिगत बोर्ड स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

7– अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्याः 1160/2021 जितेन्द्र सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 23–02–2021 एवं अवमानना याचिका संख्या–2080/2021 जितेन्द्र सिंह यादव बनाम अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ में पारित निर्णय दिनांकित 05–07–2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–10 के आलोक में याची/जितेन्द्र सिंह यादव, पीएनओ–970020480, पुत्र स्व0 तारा सिंह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) नियुक्ति स्थान जोनल कार्यालय कानपुर का रिट याचिका के एनेक्जर–05 के रूप में संलग्न प्रत्यावेदन दिनांकित 24–07–2020 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

अध्यक्ष,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

पंजीकृत डाक/द्वारा विशेष वाहक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–10, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना/कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4– जोनल कार्यालय, कानपुर को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति याची/पुलिस **सहायक उप निरीक्षक (लिपिक), जितेन्द्र सिंह यादव, पीएनओ–970020480, पुत्र स्व0 तारा सिंह, नियुक्ति स्थान जोनल कार्यालय कानपुर** को प्राप्त/तामील कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर इस बोर्ड को तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि कार्मिक अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर अथवा ड्यूटी पर प्रस्थान कर गये हों, तो सम्बन्धित स्थान पर उक्त आदेश की प्रतियाँ भेजकर तामील कराते हुये प्राप्ति की प्रति अभिलेखार्थ बोर्ड को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।